दिनांक 11.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा होली पर्व आदि के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध/सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को होली पर्व आदि के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध/सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः—

- त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की नई परम्परा शुरू करने की अनुमति न दी जाये। सभी त्यौहार परम्परागत रूप से सम्पादित कराये जायें।
- होलिका दहन के समस्त स्थानों का भ्रमण तथा आयोजकों से गोष्ठी कर ली जाये होलिका के जिन स्थानों पर पूर्व में विवाद हो चुका है तथा संवेदनशील स्थानों पर रखी जाने वाली होलिका के स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं भ्रमण कर लें। होलिका दहन के समय अग्निशमन व्यवस्था को सकिय रखा जाय तथा प्रत्येक होलिका दहन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाये।
- अराजक तत्वों को पूर्व से चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। विगत वर्षों में होली से सम्बंधित विवादों एवं मुकदमों की समीक्षा करते हुये तद्नुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही समय से करा ली जाये।
- पुलिस कार्यालयों/इकाईयों के पुलिस बल को एकत्रित कर क्यूआरटी टीमें बनाकर दंगा नियंत्रण उपकरणों सहित तैयारी हालत में रखा जाये।
- थानों के त्यौहार रजिस्टर का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय से अवलोकन कर लिया जाये। विगत वर्षों में होली के अवसर पर कोई विवाद परिलक्षित हुए हो तो उसका समय से निराकरण करा लिया जाये। होली जुलूस के मार्गो पर अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व, से फ्लैग मार्च व एरिया डामिनेशन की कार्यवाही कर लिया जाये।
- होली पर्व शुक्रवार (जुमे) के दिन पड़ने के दृष्टिगत सभी धर्म के धर्मगुरूओं, धार्मिक व्यक्तियों, कार्यक्रम/जुलूस के आयोजकों, शान्ति समितियों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जनपद के पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा गोष्ठी कर ली जाय। इनके द्वारा त्यौहार से सम्बन्धित बतायी गयी समस्याओं का समय से निराकरण करा लिया जाये। धर्मगुरूओं/आयोजकों से समन्वय रखते हुये निरन्तर संवाद रखा

जाय तथा सुदृढ़ कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी व निष्पक्ष कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।

- जनपदीय अभिसूचना तंत्र को आगामी होली पर्व के दृष्टिगत पूर्व से सक्रिय कर लिया जाये। जनपद के समस्त कार्मिकों की ब्रीफिंग करते हुये समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना, चौकी तथा बीट स्तर के कर्मियों को भी सचेत व सक्रिय रखा जाये। होली के सम्बन्ध में संकलित छोटी से छोटी सूचना/अभिसूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मानिटरिंग की जाये।
- अवैध जहरीली शराब से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु पूर्व से कार्ययोजना तैयार कर इसके निष्कर्षण, विक्रय तथा परिवहन को प्रतिबन्धित किया जाये। इस सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी एवं सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। आबकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर सचल दस्ते के रूप में छापेमारी व आकस्मिक चेकिंग की जाय तथा अवैध शराब विशेषतः मिथाइल अल्कोहल से शराब बनाने वालों एवं शराब भट्ठियों तथा अन्य प्रान्त से शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। अवैध तथा अपमिश्रित शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु आम जनमानस तथा शराब विक्रेताओं को निरन्तर जागरूक किया जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला अस्पताल एवं जनपद के अन्य अस्पतालों को एलर्ट पर रखा जाय और आकस्मिक चिकित्सा सेवायें दिन–रात सुचारू रखी जायें। 108 एम्बुलेन्स सेवा को एलर्ट पर रखा जाय तथा मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रहे।
- नगरनिगम/नगरपालिका के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पानी, साफ–सफाई एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाये।
- मिश्रित आबादी के क्षेत्रों, जुलूस के मार्गों विशेषकर जंक्शन प्याईण्ट्स एवं कम्युनल हॉट स्पॉट्स पर पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरा से चेकिंग करते हुये सर्तकता बरती जाये।
- पोस्टर पार्टी एवं मार्निंग चेकिंग टीम का गठन किया जाय तथा उन्हें उनके दायित्यों से भली–भांति भिज्ञ करा दिया जाय। पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रातःकाल निकाला जाये।
- बाजार तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस–पास वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाये तथा व्यापारी संगठनों के साथ गोष्ठी भी कर ली जाये। व्यापारियों के साथ एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की घटना घटित न होने पाये।

- भीड़–भाड़ के स्थल, बाजार एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर नियमित रूप से बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करा ली जाये तथा बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाये।
- यूपी–112 से प्राप्त इवेन्ट का परिशीलन कर लिया जाय तया किस थाना क्षेत्र के किस स्थान पर घटना का इवेन्ट प्राप्त हुआ था, उसका वर्गीकरण कर हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुये समुचित पुलिस प्रबन्ध कर प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाय।
- कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन/सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यतानुसार की जाये पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट नियुक्त करने हेतु समय से जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर लिया जाये।
- दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास कर लिया जाये तथा दंगा निरोधक उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राईकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये।
- नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूबना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें।
- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस प्रवन्ध कर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा समाज में विद्वेष फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय। होली तथा रमजान के आयोजन कार्यक्रम जहाँ एक स्थान व एक समय पर आयोजित होना हो वहाँ आयोजको से वार्ता कर पूर्व से योजना बनाकर समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जाये।
- समस्त कमिश्नरेट/जनपद की सोशल मीडिया टीम 24X7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी रखें तथा मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया टीम से समन्वय रखते हुये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

दिनांक 11.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 बुलेरो पिकअप वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 10.03.2025 को थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलराऊ पुलिया पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शौकीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 बुलेरो पिकअप वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शौकीन निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 बुलेरो पिकअप वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना कठेला समयमाता

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 24 सोलर पैनल**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **07 हजार 580 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 तीन पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 10/11.03.2025 को थाना कठेला समयमाता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम झकहिया के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–राजू उर्फ राजेश 2–रामू उर्फ मोहित 3–रमेश 4–गनेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 24 सोलर पैनल, चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 07 हजार 580 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 तीन पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कठेला समयमाता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कठेला समयमाता पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोलर पैनल, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कठेला समयमाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू उर्फ राजेश निवासी ग्राम चौखड़ा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

2–रामू उर्फ मोहित निवासी ग्राम हसुड़ी औसानपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

3–रमेश निवासी ग्राम अमौली एकडेगवा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

4–गनेश निवासी ग्राम खरैली थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 24 सोलर पैनल।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–07 हजार 580 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 01 तीन पहिया वाहन आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.03.2025 की रात्रि थाना छपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–58 पर सलार कालेज के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनीस उर्फ मस्ताना घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीस उर्फ मस्ताना निवासी बडका थाना बडौत जनपद बागपत हालपता–समर गार्डन 60 फुटा रोड थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **चोरी के सोने के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 11.03.2025 को थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राधेलाल चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—अंकित 2—परमजीत उर्फ पम्पा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, चोरी के सोने के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद खीरी, सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त परमवीर उर्फ पम्मा के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, अपहरण, हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खैराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

1—अंकित निवासी देवगनपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर।

2—परमजीत उर्फ पम्पा निवासी ग्राम नादन थाना पिसवां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2—चोरी के सोने के आभूषण।

जनपद इटावा/थाना बसरेहर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 किलो 420 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनॉकः 11.03.2025 को थाना बसरेहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोहिया पुल से 03 अभियुक्तों 1—अजय 2—कुश कुमार 3— अमित कुमार को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से15 किलो 420 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी ग्राम गोधा थाना गोधा जनपद अलीगढ़।

2—कुश कुमार निवासी विनयनगर रामघाट रोड थाना मौआ खेड़ा जनपद अलीगढ़।

3—अमित कुमार निवासी नुरूपुरा कटका थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—15 किलो 420 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना बण्डा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनॉकः 11.03.2025 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चित्तरपुर नवदिया से आने वाले कच्चे मार्ग पर ढेड़ी पुलिया के पास से अभियुक्त मनमोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनमोहन निवासी ग्राम मानपुर टेहरी थाना दिवरिया जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध अफीम।

- **<u>जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–संजीव उर्फ टोनी 2–मनोज को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बिसण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश कुमार को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार उर्फ धुनकारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/364/504

/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना बिलग्राम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सहदेव को 10 वर्ष के कठिन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बसखारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/511/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अलगू उर्फ जमाल अख्तर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 तस्कर 06.500 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 11–03–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को 06.500 किलो अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 65 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– अनिल कुमार दांगी पुत्र इन्द्रजीत दांगी, निवासी ग्राम परखन, पोस्ट गिधोर, जनपद चतरा, झारखण्ड।

2. आजाद अहमद पुत्र हमीद अहमद, निवासी बहादुरपुर खादर, पोस्ट लक्सर, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

3. प्रेमपाल पुत्र तेजपाल, निवासी ग्राम व पोस्ट मझगवां, थाना विशारतगंज, जनपद बरेली ।

4. अनिल कश्यप पुत्र पप्पू कश्यप, निवासी ग्राम व पोस्ट मझगवां थाना विशारतगंज जनपद बरेली

5. राजेन्द्र पाल पुत्र मैकूलाल, निवासी ग्राम बिवनी, थाना अलीगंज, जनपद बरेली।

<u>बरामदगीः–</u>

1. 06.500 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 65 लाख रूपये)
2. 04 अदद मोबाइल फोन
3. 1,300/–रूपये नकद
4. 01 अदद ट्रक नम्बर एच0आर0 58 सी 7788

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–</u>

रजऊ चौराहे के पास खाली जगह लखनऊ–बरेली हाइवे, थाना बिथरी चौनपुर, जनपद बरेली। दिनांक 11–03–2025 समय–12.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 राशिद अली, मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल ,मु0आ0 नितिन, मु0आ0 संदीप, मु0आ0 सुनित, आ0 संजय यादव व मु0आ0 चालक मनोज कुमार अवस्थी एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय स्त्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य झारखण्ड से एक ट्रक में मादक पदार्थ (अफीम) लेकर आये है, जो थाना बिथरी चौनपुर जनपद बरेली क्षेत्रान्तर्गत रजऊ चौराहे के पास मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उपरोक्त स्थान पर पहुॅचकर उपरोक्त 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त बारामदगी हुयी।

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक गिरोह है, जो झारखण्ड से अवैध मादक पदार्थ लाकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब आदि राज्यों में सप्लाई करता है। इस बार बरेली निवासी तस्करों को अफीम की खेप देने के लिए झारखण्ड से आये थे। जनपद बरेली के उपरोक्त तस्करों द्वारा बरेली एवं आस–पास के जनपदों में फुटकर में इसकी तस्करी की जाती है। जिससें काफी मुनाफा होता है। इस गिरोह द्वारा लगभग 3 वर्षो से यह कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी कई बार अफीम की खेप लाकर बरेली में सप्लाई कर चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बिथरी चौनपुर जनपद बरेली में मु0अ0सं0 125/2025 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बिथरी चौनपुर जनपद बरेली द्वारा की जायेगी ।

——————